समाहरणालय समस्तीपुर (जिला भू–अर्जन कार्यालय)

पत्रांक......................./भू–अ0 दिनांक ....

ई मेल : dlaosmp@gmail.com

अधिसूचना

परियोजना वरूणापुल से रसियारी पथ सं0 SH-88 (वरूणापुल NH88-103 से रसियारी) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के निमित भू–अर्जन के प्रस्ताव पर समाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन एवं विशेषज्ञ समूह के स्तर से किये गये अध्ययन का मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधारपर अधिनियम 30/2013 के धारा–08 (01 एवं 02) एवं धारा–14 के 01 एवं 02 के उपनियम (1) के अन्तर्गत

समुचित सरकार का विनिश्चय

इस परियोजना के लिए अधियाची पदाधिकारी, प्रबंधक (तक0) परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, समस्तीपुर द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का उपधारा) के धारा 02 (1) (b) के तहत् भू–अर्जन कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

क्रमांक	अधियाची पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक	अंचल का नाम	मौजा का नाम	अर्जनाधीन रकवा
1	31 (WE) दिनांक 20.01.15	दलसिंहसराय	भगवानपुर चकशेखो	4.93 एकड़

1. उपरोक्त अधियाचना में समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय अंचल का भगवानपुर चकशेखों राजस्व ग्राम में निहित हैं।
2. उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अधिनियम की धारा 4–5 के तहत् अर्जनाधीन क्षेत्र का सामाजिक प्रभाव आकलन ए0 एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान पटना के माध्यम से कराया गया जिससे प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन के सारांश को हिन्दी भाषा में अधिनियम के धारा 6 (1) के तहत् इस कार्यालय के ज्ञापांक 54/भू–अ0 दिनांक 23.01.2017 द्वारा निर्दिष्ट स्थलों एवं जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन कराया गया।
3. अधिनियम के धारा 07 के तहत् उपरोक्त प्राप्त सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का विशेषज्ञ समूह के द्वारा अध्ययन कराया गया जिसका मुल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 02.05.2017 को प्राप्त हुआ। इस मूल्यांकन प्रतिवेदन को भी अधिनियम के धारा 07 (6) के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक 516/भू–अ0 दिनांक 22.05.2017 के द्वारा निर्दिष्ट स्थलों एवं जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन कराया गया।
4. उपरोक्त प्रकाशन के उपरान्त अर्जनाधीन क्षेत्र के हितबद्ध अथवा अन्य व्यक्तियों की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।
5. उपरोक्त परियोजना के निर्मित अधियाची विभाग से प्राप्त प्रस्तावों एवं उनपर करायें गयें सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के प्रतिवेदन एवं उस पर विशेषज्ञ समूह से प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन का अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर गहन अवलोकन किया गया एवं समीक्षा करने के उपरांत निम्नांकित तथ्य स्पष्ट हुआ है।

(क) परियोजना उत्तर बिहार के दो जिलों समस्तीपुर एवं दरभंगा को जोड़ती है जिसकी कुल लम्बाई 120.354 कि0मी0 है। इस परियोजना के पूर्ण होने से आम लोगो को पटना समस्तीपुर, दरभंगा आने जाने में आसानी होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत भगवानपुर चकशेखों में प्रस्तावति ROB निर्माण से आमलोगों रेलवे क्रोसिंग आसानी से पार कर सकते है। फलस्वरूप दलसिंहसराय बाजार में जाम की स्थिति से निजात मिलेगा एवं आमजन को काफी फायदा होगा तथा भविष्य में दुर्घटना में भी कमी आएगी। इस परियाजना से दलसिंहसराय बाजार के विस्तार के साथ–साथ

चिकित्साओं, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सरोकार वगैरह का आधुनिक सुविधाए आसानी से उपलब्ध होगी।

(ख) इस परियोजना में न्यून्तम विस्थापन के विकल्प को चुना गया है। इस गांव में कम संख्या में आबादी प्रभावित होगी, जो परिवार विस्थापित होगें, उनके लिये अधिनियम के प्रावधानों के तहत् पुर्नस्थापन कराने की कार्यवाही की जाएगी।

(ग) इस अर्जन से होने वाली कुप्रभाव की तीव्रता कम है, कुछ कुप्रभाव प्रतिवेदित है जिसका समाधान सुधारात्मक तरीका अपनाकर किया जा सकेगा।

(घ) इस परियोजना का सामाजिक प्रभावों में से सकारात्मक ज्यादा है, नाकारात्मक कम है।

(ङ) उक्त सड़क निर्माण होने पर ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर अपने दैनिक कार्यो से जो असुविधा होने की संभावना प्रतिवेदित है उनके निदान के लिए प्रावधानानुसार कारवाई की जा सकेगी।

(च) प्रतिवेदन के अनुसार भू–अर्जन क्रम में लोगो के सामने भूमि का मापी कराने स्वत्व निर्धारित करने प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान प्राप्त करने वगैरह समस्या आ सकती है। जिसके समाधान हेतु अधिनियम के प्रावधानुसार समुचित कारवाई की जाएगी।

विनिश्चय :– उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह विनिश्चय किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इस हेतू भू–अर्जन करने का सामाजिक मूल्य कम है तथा सामाजिक लाभ ज्यादा है।

निर्णय :– परियोजना रा0 उ0 पथ सं0–88 (वरूणापुल से रसियारी) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु ग्राम–भगवानपुर चकशेखों में पथ एवं **ROB** निर्माण हेतु लोक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूखंडो का अर्जन अधिनियम 30/2013 के प्रावधानों के तहत प्रभावित व्यक्तियों को उचित प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान करते हुये किया जाएगा तथा इसके लिए अधिनियम के धारा–11 के तहत हितबद्ध रैयतों के नाम सहित अधिसूचनाओं का प्रकाशन सम्यक रूप से कराया जायेगा।

30/6/17

समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।

ज्ञापांक 744 /भू–अ0 दिनांक 03.07.17 /

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, दलसिंहसराय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत दलसिंहसराय/अंचल अधिकारी, दलसिंहसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हे निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कर कृत कारवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला समाहर्त्ता, समस्तीपुर के बेबसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

प्रतिलिपि : आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय बिहार पटना कों सादर सूचनार्थ समर्पित।

30/6/17

समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।